नूर मोहम्मद

बनाम

खुर्रम पाशा

अगस्त 02,2022

/

(2022 की आपराधिक अपील No.1123)

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 -s.143A-s के संदर्भ में अंतरिम मुआवजा जमा करने में विफलता।143 ए और इसका प्रभाव, यदि कोई हो, शिकायतकर्ता की ओर से जांचे गए गवाहों से जिरह करने के आरोपी के अधिकार पर-रुपये का चेक-अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में तैयार किया गया, अपमानित-प्रतिवादी यू/एस द्वारा शिकायत मामला।138 – निचली न्यायालय ने अपीलार्थी को चेक राशि का 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजे के रूप में जमा करने का निर्देश दिया।143(ए)-अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई जमा राशि नहीं-अपीलार्थी यू/एस की ओर से आवेदन।145(2) निचली विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किए गए प्रत्यर्थी से जिरह करने की अनुमति मांगने के लिए, निर्देश के अनुसार अंतरिम मुआवजा जमा करने में अपीलार्थी की विफलता को देखते हुए-प्रत्यर्थी से जिरह करने का अपीलार्थी का अधिकार, यदि नीचे दी गई विचारण न्यायालय ों द्वारा सही तरीके से बंद किया गया है-आयोजित किया गयाःसंबंधित प्रावधान, अर्थात्,s.143A, कहीं भी इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि एक आरोपी जो अंतरिम मुआवजा जमा करने में विफल रहा है, उसे शिकायतकर्ता की ओर से जांच किए गए गवाहों से जिरह करने के अधिकार से इनकार करने सहित किसी अन्य अक्षमता के साथ जोड़ा जा सकता है-अधिकार को पूर्ववत करने वाला ऐसा कोई भी आदेश विचारण न्यायालय को प्रदान की गई शक्तियों के भीतर नहीं होगा-चूंकि प्रतिवादी से जिरह करने के अधिकार से अपीलार्थी को इनकार कर दिया गया था, इसलिए शिकायत मामले को विचारण न्यायालय में बहाल कर दिया गया-विचारण न्यायालय अपीलार्थी को जिरह करने की अनुमति देने के लिए और फिर कार्यवाही को एक तार्किक

निष्कर्ष पर ले जाने के लिए-साथ ही, चेक राशि का 20 प्रतिशत, अर्थात् रु. 1,40,000- जिसे अपीलार्थी द्वारा अंतरिम मुआवजे के रूप में जमा किया जाना है।

/

/

/

/

/

विधानों की व्याख्या-विधानमंडल द्वारा प्रदान किया गया उपाय-विधि और तौर-तरीके भी स्पष्ट रूप से चित्रित किए गए-निर्माण का नियम-आयोजित:कानून के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कानून में निर्धारित तरीके से किया जाना है-यदि कोई कानून एक

/

860 ए.

861

नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा ए

शक्ति के प्रयोग के लिए विधि या तौर-तरीके, आवश्यक निहितार्थ से, प्रदर्शन के अन्य तरीके स्वीकार्य नहीं हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1.**न्यायालय को धारा **143** ए, उप-धारा **2** की उप-धारा **1** के अंतर्गत अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित करने का अधिकार देने के बाद यह आदेश दिया जाता है कि ऐसा अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के **20** प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।जिस अवधि के भीतर अंतरिम मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए, वह उप-धारा **3** में निर्धारित है, जबकि उप-धारा **4** उन स्थितियों से संबंधित है जहां चेक खींचने वाले को बरी कर दिया जाता है।उक्त उप-धारा **4** में निर्धारित ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे के पुनर्भुगतान पर विचार किया गया है।उक्त धारा **143** ए की उप-धारा **5** में कहा गया है कि "इस धारा के अंतर्गत देय अंतरिम मुआवजे की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह जुर्माना हो।"पद अंतरिम क्षतिपूर्ति वह है जो "इस धारा के अंतर्गत देय है" और इस प्रकार उक्त धारा **143** ए की उप-धारा **1** के अंतर्गत भुगतान करने के लिए निर्देशित अंतरिम मुआवजे को अपने दायरे में ले लेगा। **[**पैरा **12] [866-**डी-एफ**]**

/

/

/

1.2.इस प्रकार न्यायालय द्वारा निर्देशित अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने में विफलता के लिए उपाय विधानमंडल द्वारा प्रदान किया जाता है।अंतरिम मुआवजे की वसूली की विधि और तौर-तरीके को विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है।यह सर्वविदित सिद्धांत है कि यदि कोई कानून आवश्यक निहितार्थ से शक्ति के प्रयोग के लिए कोई विधि या तौर-तरीके निर्धारित करता है, तो प्रदर्शन के अन्य तरीके स्वीकार्य नहीं हैं।**[**पैरा **13] [866-**जी**]**

/

1.3.संबंधित प्रावधान में कहीं भी यह विचार नहीं किया गया है कि एक आरोपी जो अंतरिम मुआवजा जमा करने में विफल रहा था, उसे शिकायतकर्ता की ओर से जांचे गए मामलों में प्रतिपरीक्षा के अधिकार से इनकार करने सहित किसी अन्य अक्षमता के साथ जोड़ा जा सकता है।अधिकार को निरस्त करने वाला ऐसा कोई भी आदेश न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के भीतर नहीं होगा और वास्तव में, शक्ति के अनुमेय प्रयोग से बहुत आगे जाएगा।**[**पैरा **14] [869-**सी**-**डी**]**

/

/

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह और अन्य

आकाशवाणी **1964** एससी **358:[1964] 4** एससीआर **485;** जे**.** एन**.** गणात्रा बनाम मोरवी नगरपालिका **(1996) 9** एस**.** सी**.** सी**. 495:[1996]**

/

3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 742** और आयकर आयुक्त**,** मुंबई बनाम अंजुम एम**.** एच**.** घासवाला**, (2002) 1** एस**.** सी**.** सी**. 633:**

[2001] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 303-**पर निर्भर।

नजीर अहमद बनाम राजा सम्राट ए**.** आई**.** आर**. 1936** प्रिवी काउंसिल

253 (2) – संदर्भित किया गया।

/

2. चूंकि प्रत्यर्थी से जिरह करने के अधिकार से अपीलार्थी को वंचित कर दिया गया था**,** इसलिए निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय एक अंतर्निहित दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त हैं।इसलिए**,** तीनों अदालतों के फैसलों को आगे के निर्देश के साथ दरकिनार कर दिया जाता है कि शिकायत का मामला विचारण न्यायालय की फाइल में बहाल हो जाएगा। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से जिरह करने और फिर कार्यवाही को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति दे।यह भी निर्देश दिया जाता है कि चेक राशि का **20** प्रतिशत अर्थात रु**. 1,40,000-**अपीलार्थी द्वारा अंतरिम मुआवजे के रूप में जमा किया जाना चाहिए।**[**पारस **15,16] [869-**डी**-**एफ**]**

/

/

संदर्भित निर्णय

[1964] 4 एससीआर **485**

पर विश्वास किया

पैरा **13**

[1996] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 742** पैरा **13 [2001] 4** सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस**.** सी**.** आर**. 303** पैरा **13** पर निर्भर था।

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1123।

/

2021 की आपराधिक संशोधन याचिका No.39 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.12.2021 के निर्णय और आदेश से।शैलेश मडियाल, मृगांक प्रभाकर, वैभव सभरवाल, सुश्री राखी मडियाल, राजन परमार, विनायक पंडित, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

आनंद संजय एम. नुली, धर्म सिंह, सुश्री नंदिनी पांडे, सुश्री अखिला वली, वैभव मलिमथ, मेसर्स नुली और नुली, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा ए

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. अनुमति दी गई।

/

2. यह अपील 2021 की आपराधिक संशोधन याचिका संख्या 39 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय ('उच्च न्यायालय ', संक्षेप में) द्वारा पारित 17.12.2021 के निर्णय और आदेश की शुद्धता को चुनौती देती है।

3. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और जे. एम. एफ. सी., नागमंगल की न्यायालय में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 ('अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यहां स्थापित 2019 के शिकायत मामले संख्या 244 से तत्काल कार्यवाही उत्पन्न होती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया जाता हैः

/

क) अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से अपीलार्थी द्वारा प्राप्त हस्त ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्यर्थी के पक्ष में रुपये की राशि में 25.02.2019 दिनांकित एक चेक निकाला गया था।

/

ख) उक्त चेक को 01.03.2019 पर भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन "अपर्याप्त धन" के कारण इसका अपमान किया गया था।

/

ग) प्रत्यर्थी द्वारा 12.03.2019 पर अपीलार्थी को सांविधिक सूचना जारी की गई थी।

घ) तथापि, अपीलार्थी प्रत्यर्थी को राशि चुकाने में विफल रहा।

ङ) परिणामस्वरूप, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी था।

/

4. उपरोक्त शिकायत का संज्ञान लेने और समन जारी किए जाने के बाद, अपीलार्थी 16.08.2019 पर अपने वकील के माध्यम से संबंधित न्यायालय में पेश हुआ।उसी तारीख को, विचारण न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसमें अपीलार्थी को 60 दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 143 (ए) के संदर्भ में अंतरिम मुआवजे के रूप में चेक

राशि का 20 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था।इस प्रकार दी गई अवधि आई. डी. 1 पर समाप्त हो गई और अपीलार्थी के अनुरोध पर 30 दिनों का और विस्तार दिया गया; लेकिन अपीलार्थी द्वारा कोई जमा नहीं किया गया।

/

/

/

5. जब मामले को गवाहों की जांच के लिए लिया गया था, तो अधिनियम की धारा 145 (2) के अंतर्गत अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन किया गया था जिसमें प्रतिवादी से जिरह करने की अनुमति मांगी गई थी।निर्देशानुसार अंतरिम क्षतिपूर्ति जमा करने में उनकी विफलता को देखते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं पाया गया और विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।6. बाद के आदेश दिनांक 29.11.2019 द्वारा शिकायत मामले को निचली अदालत द्वारा अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपीलार्थी को दोषी पाते हुए स्वीकार कर लिया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को रुपये की राशि का जुर्माना देने का निर्देश दिया- जिसमें चूक करने पर छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।उपरोक्त राशि में से 5,000/- रुपये राज्य को प्रेषित किए जाने थे, जबकि रुपये की शेष राशि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 357 के अंतर्गत प्रतिवादी को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया था।

/

/

7. अपीलार्थी ने व्यथित होने के कारण, वी. एडिशनल की न्यायालय में 2019 की आपराधिक अपील संख्या 190 को प्राथमिकता दी।जिला और सत्र न्यायाधीश, मांड्या, जो अपील करता था, हालाँकि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 28.10.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।इस प्रकार विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की गई।अपने आदेश के दौरान विचार के लिए उठाए गए बिंदुओं में से एक यह था कि क्या विचारण विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया था।न्यायालय ने यह टिप्पणी कीः-

/

/

“18. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्तमान अपील में भी, इस अपील को दायर करने के बाद, अभियुक्त ने चेक राशि का 20 प्रतिशत जमा करने के लिए इस न्यायालय के दिनांकित आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए, यह पता चलता है कि अभियुक्त इस न्यायालय के आदेश का पालन करने में अनिच्छुक है।इन परिस्थितियों अंतर्गत , इस न्यायालय की राय है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पी. डब्ल्यू. 1 से जिरह करने की अनुमति मांगने वाले अभियुक्त द्वारा की गई प्रार्थना को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है और आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े हैं।

/

8. अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में 2021 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 39 दायर करके मामले को आगे बढ़ाया गया।उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा, जिसे वर्तमान अंतर्गत चुनौती दी जा रही है, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जो नीचे दी गई अदालतों द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि करती है।यह देखा गया कि निर्देश के अनुसार अंतरिम मुआवजा जमा नहीं करने में अपीलार्थी के आचरण से पता चलता है कि वह केवल किसी न किसी कारण से कार्यवाही को आगे बढ़ाने में रुचि रखता था।

/

/

865

नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

/

9. इस अपील में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 01.04.2022 आदेश द्वारा अपीलार्थी को इस न्यायालय की रजिस्ट्री में रु. 3,50,000 की राशि जमा करने का निर्देश दिया और तब से यह राशि जमा कर दी गई है।

10. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश मडियाल और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद नुली को सुना है।श्री मडियाल के प्रस्तुत करने में, यदि अधिनियम की धारा 143 ए के संदर्भ में निर्देशित अंतरिम मुआवजे के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो राशि की वसूली उक्त धारा 143 ए की उप-धारा 5 के संदर्भ में की जा सकती है, जैसे कि यह संहिता की धारा 421 के अंतर्गत जुर्माना था, लेकिन किसी आरोपी को गवाह से जिरह करने के उसके अधिकार से वंचित करना न्यायालय की क्षमता के भीतर नहीं होगा; इस तरह के अधिकार से इनकार करने के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा हुआ

और इस तरह, निचली न्यायालय ों द्वारा पारित निर्णय और आदेश अवैध थे और उन्हें दरकिनार किया जाना आवश्यक है।

/

/

दूसरी ओर, श्री नुली प्रस्तुत करते हैं कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित आदेश धारा 143 ए के अधिदेश के अनुरूप थे और प्रतिपरीक्षा के अधिकार को नीचे की अदालतों द्वारा उचित रूप से बंद कर दिया गया था।

/

11. इस मुद्दे की जांच करने से पहले, हम अधिनियम की धारा 143 ए नामक प्रासंगिक प्रावधान निकाल सकते हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

/

" 143 ए. अंतरिम मुआवजे का निर्देश देना।– (1)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 138 के अंतर्गत अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय चेक खींचने वाले को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे सकता है -

/

(क) संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां वह शिकायत में लगाए गए आरोप के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है; और

(ख) किसी अन्य मामले में, आरोप तय होने पर।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

/

(3) अंतरिम मुआवजे का भुगतान उप-धारा (1) के अंतर्गत आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर किया जाएगा जो तीस दिनों से अधिक न हो, जैसा कि चेक के ड्रॉअर द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

/

(4) यदि चेक खींचने वाले को बरी कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर, या ऐसी तीस दिनों से अधिक की अवधि के भीतर, जो शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित की जाए, संबंधित वित्तीय वर्षों की शुरुआत में प्रचलित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश देगी।

/

(5) इस धारा के अंतर्गत देय अंतरिम मुआवजे की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अंतर्गत जुर्माना हो।

/

(6) धारा 138 के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने की राशि या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अंतर्गत दी गई मुआवजे की राशि को इस धारा के अंतर्गत अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान या वसूल की गई राशि से कम किया जाएगा। "

/

12. न्यायालय को धारा 143 ए, उप-धारा 2 की उप-धारा 1 के अंतर्गत अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का आदेश पारित करने का अधिकार देने के बाद यह आदेश दिया जाता है कि ऐसा अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।जिस अवधि के भीतर अंतरिम मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए, वह उप-धारा 3 में निर्धारित है, जबकि उप-धारा 4 उन स्थितियों से संबंधित है जहां चेक खींचने वाले को बरी कर दिया जाता है।उक्त उप-धारा 4 में निर्धारित ब्याज के साथ अंतरिम मुआवजे के पुनर्भुगतान पर विचार किया गया है।उक्त धारा 143 ए की उप-धारा 5 में कहा गया है कि "इस धारा के अंतर्गत देय अंतरिम मुआवजे की वसूली इस तरह की जा सकती है जैसे कि यह जुर्माना हो।"पद अंतरिम क्षतिपूर्ति वह है जो "इस धारा के अंतर्गत देय है" और इस प्रकार उक्त धारा 143 ए की उप-धारा 1 के अंतर्गत भुगतान करने के लिए निर्देशित अंतरिम मुआवजे को अपने दायरे में ले लेगा।

/

/

13. इस प्रकार न्यायालय द्वारा निर्देशित अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने में विफलता के लिए उपाय विधानमंडल द्वारा प्रदान किया जाता है।अंतरिम मुआवजे की वसूली की विधि और तौर-तरीके को विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है।यह सर्वविदित सिद्धांत है कि यदि कोई कानून आवश्यक निहितार्थ से शक्ति के प्रयोग के लिए कोई विधि या

तौर-तरीके निर्धारित करता है, तो प्रदर्शन के अन्य तरीके स्वीकार्य नहीं हैं।नजीर अहमद बनाम राजा सम्राट 1 में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर भरोसा करते हुए, ए

/

1 ए. आई. आर. 1936 प्रिवी काउंसिल 253 (2)

/

867

नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा [उदय उमेश ललित, जे।]

/

इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं -

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह और अन्य **2.**

“7. नजीर अहमद मामले में, 63 इंड ऐप 372; (ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253 (2)) न्यायिक समिति ने कहा कि टेलर बनाम टेलर [(1875) 1 च. डी. 426,431] में एक न्यायालय को लागू सिद्धांत, अर्थात्, जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने की शक्ति दी गई है, वह काम उस तरह से किया जाना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं और प्रदर्शन के अन्य तरीके अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं, धारा 164 के अंतर्गत रिकॉर्ड बनाने वाले न्यायिक अधिकारियों पर लागू होता है और इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया कि मजिस्ट्रेट उसे किए गए स्वीकारोक्ति का मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकता है, जिसे उसने संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज करने का इरादा किया था।यह कहा गया था कि अन्यथा धारा 164 और 364 में निर्धारित सभी सावधानियों और सुरक्षा उपायों, जिन्हें दोनों को एक साथ पढ़ना था, का इतना तुच्छ मूल्य हो जाएगा कि वे लगभग बेकार हो जाएँगे और यह अभिनिर्धारित करना एक अप्राकृतिक निर्माण होगा कि धाराओं में इस तरह की सूक्ष्म विशिष्टता के साथ निर्धारित की गई प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया की अनुमति दी गई थी।8. टेलर बनाम टेलर [(1875) 1 Ch D 426,431] में अपनाया गया नियम अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और ध्वनि सिद्धांत पर आधारित है।इसका परिणाम यह है कि यदि किसी कानून ने कोई कार्य करने की शक्ति प्रदान की है और उस विधि को निर्धारित किया है जिसमें उस शक्ति का प्रयोग किया जाना है, तो यह आवश्यक रूप से निर्धारित किए गए कार्य के अलावा किसी अन्य तरीके से कार्य करने को प्रतिबंधित करता है।नियम के पीछे का सिद्धांत यह है कि यदि ऐसा नहीं होता, तो वैधानिक प्रावधान भी लागू नहीं किया गया होता।इसलिए, एक मजिस्ट्रेट, जांच के दौरान धारा 164 में निर्धारित तरीके के अलावा एक स्वीकारोक्ति दर्ज नहीं कर सकता है।स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति स्पष्ट रूप से दी गई थी ताकि स्वीकारोक्ति को निर्धारित तरीके से किए गए रिकॉर्ड से साबित किया जा सके।यदि अन्य माध्यमों से स्वीकारोक्ति का प्रमाण स्वीकार्य था, तो आरोपी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इसमें निहित सुरक्षा उपायों सहित धारा 164 का पूरा प्रावधान निरर्थक हो जाएगा।इसलिए,

इस धारा ने मजिस्ट्रेट को आवश्यक निहितार्थ द्वारा बयान या स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति प्रदान करके, मजिस्ट्रेट को दिए गए बयानों या स्वीकारोक्ति का मौखिक साक्ष्य देने से प्रतिबंधित कर दिया। "

/

/

/

/

/

/

(बल दिया गया)

/

2 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 358 ए

बर्खास्तगी अधिनियम के अनुरूप नहीं की गई थी, इसलिए इसे दरकिनार कर दिया गया था। यह कहा गया थाः-

“4. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में पेटेंट त्रुटि में पड़ गया कि अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करना, नियमों के नियम 35 का पूर्ण उल्लंघन करते हुए, "इस अधिनियम के अनुसरण या निष्पादन या इच्छित निष्पादन में किया गया कार्य" था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगर पालिका के सामान्य बोर्ड के पास अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी को बर्खास्त करने की शक्ति थी, लेकिन उक्त शक्ति का प्रयोग केवल नियमों के नियम 35 द्वारा इंगित तरीके से किया जा सकता था।मान लीजिए कि बर्खास्तगी की शक्ति का उपयोग उस तरह से नहीं किया गया है जिस तरह से अधिनियम के अंतर्गत किया जाना आवश्यक था। यह विधि का तय प्रस्ताव है कि एक क़ानून के अंतर्गत एक शक्ति का प्रयोग क़ानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रभाव के लिए दिए गए स्पष्ट निष्कर्ष को देखते हुए कि बर्खास्तगी का आदेश अवैध और अमान्य था, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलार्थी की बर्खास्तगी अधिनियम के अनुसरण या निष्पादन या इच्छित निष्पादन में किया गया कार्य नहीं था। बर्खास्तगी का

आदेश स्पष्ट रूप से और नियमों के स्पष्ट प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।इसे अधिनियम के अंतर्गत पारित नहीं माना जा सकता है।

/

/

/

/

(बल दिया गया)

आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एम. एच.

घसवाला **4,** इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने ऐसे मामलों में निर्माण के सामान्य नियम को निम्नानुसार कहाः**-**

/

“27. फिर यह देखा जाना चाहिए कि अधिनियम बोर्ड से धारा 119 के अंतर्गत एक विशेष तरीके से यानी आदेश, निर्देश और निर्देश जारी करने के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करने की अपेक्षा करता है।ये आदेश, निर्देश और निर्देश अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए अन्य आयकर प्राधिकरणों को जारी किए जाने हैं। आयोग धारा 245-डी के अंतर्गत किसी समझौते पर पहुंचने की अपनी अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अन्य आयकर प्राधिकरणों को निर्देश जारी करने की प्रशासनिक शक्ति नहीं रख सकता है।यह एक

/

3 (1996) 9 एससीसी 495 4 (2002) 1 एससीसी 633 ए

/

869

नूर मोहम्मद बनाम खुर्रम पाशा [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

निर्माण का सामान्य नियम यह है कि जब कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से प्रयोग किए जाने के लिए किसी प्राधिकरण को कुछ शक्ति प्रदान करता है, तो उक्त प्राधिकरण को इसका प्रयोग केवल क़ानून में प्रदान किए गए तरीके से करना होगा।यदि ऐसा है, क्योंकि आयोग धारा 119 (2) (ए) में दी गई छूट की शक्ति का उपयोग उस तरीके से नहीं कर सकता है जिसमें वह धारा 119 (2) (ए) के अंतर्गत उस शक्ति का उपयोग धारा 119 की उप-धारा (2) में प्रदान की गई प्रक्रिया के विपरीत अपनी न्यायिक कार्यवाही में करने के लिए नहीं कर सकता है। "

/

(जोर दिया गया) 14.संबंधित प्रावधान में कहीं भी यह विचार नहीं किया गया है कि एक आरोपी जो अंतरिम मुआवजा जमा करने में विफल रहा था, उसे शिकायतकर्ता की ओर से जांचे गए गवाहों से जिरह करने के अधिकार से इनकार करने सहित किसी अन्य अक्षमता के साथ जोड़ा जा सकता है।अधिकार को निरस्त करने वाला ऐसा कोई भी आदेश न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के भीतर नहीं होगा और वास्तव में, शक्ति के अनुमेय प्रयोग से बहुत आगे जाएगा।

/

/

15. चूंकि प्रत्यर्थी से जिरह करने के अधिकार से अपीलार्थी को वंचित कर दिया गया था, इसलिए निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय एक अंतर्निहित दुर्बलता और अवैधता से ग्रस्त हैं।इसलिए, हमें इस अपील को स्वीकार करने और तीनों विचारण न्यायालय ों के फैसलों को आगे के निर्देश के साथ अपास्त करते हुए में कोई संकोच नहीं है कि 2019 का शिकायत मामला संख्या 244 निचली अदालत की फाइल में बहाल हो जाएगा।विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थी को प्रत्यर्थी से जिरह करने और फिर कार्यवाही को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति दे।इन टिप्पणियों के साथ अपील की अनुज्ञात जाती है।

/

/

16. यह भी निर्देश दिया जाता है कि चेक राशि का 20 प्रतिशत अर्थात रु. 1,40,000- अपीलार्थी द्वारा अंतरिम मुआवजे के रूप में जमा किया जाना चाहिए।रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय यानी वरिष्ठ सिविल जज और जे. एम. एफ. सी., नागमंगला, कर्नाटक को रु. 1,40,000 से अधिक की राशि दे।राशि को 2019 के शिकायत मामला संख्या 244 में जमा में रखा जाएगा और ऐसे आदेशों का पालन किया जाएगा जिन्हें विचारण विचारण न्यायालय पारित करना उचित समझे।उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ शेष राशि अपीलार्थी को सौंप दी जाएगी।रजिस्ट्री अपीलार्थी के नाम पर एक वेतन आदेश निकालेगी जिसे अपीलार्थी के विद्वान वकील को सौंप दिया जाएगा।

/

/

17. अंत में, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हमने उस मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है और न ही किया जाएगा, जिस पर ऊपर बताए गए प्रतिपरीक्षा के अधिकार को प्रदान करने के बाद विचार किया जाएगा।

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/

/

/